

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4(1) परावि/पीसी/मु.मंत्री बजट योजना कानपुरा (अजमेर)/सोलर पेनल/13/136 जयपुर, दिनांक : 21/2/2013

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती संख्या 32/2012-13

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 4.3.2012 को कानपुरा(अजमेर) प्रवास के दौरान की गई घोषणा की क्रियान्विति के फलस्वरूप अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति की चयनित 10 ग्राम पंचायतों के 20 स्कूलों में ग्रामीण कनेक्टिविटी(GPNIC) पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोलर पावर प्लान्ट लगाने हेतु राशि रुपये 23.04 लाख (अक्षरे रुपये तैबीस लाख चार हजार मात्र) जिला परिषद अजमेर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं। राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार हैं :-

बजट मद

मांग संख्या - 41


- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196 - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) - तदर्थ सहायता
[01] - संस्थापन
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना
राशि रुपये 23.04 लाख (अक्षरे रुपये तैबीस लाख चार हजार मात्र)

यह स्वीकृती वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 331300101 दिनांक 13.2.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही हैं।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महालेखाकार, (लेख एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वित्त(बजट) को प्रेषित कर अनुरोध है कि राशि रुपये 23.04 लाख (अक्षरे रुपये तैबीस लाख चार हजार मात्र) जिला परिषद अजमेर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी करने का श्रम करावे।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीनगर, जिला परिषद, अजमेर।
9. प्रोगामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. अंक मिलान/सांख्यिकी शाखा/रक्षित पत्रावली


(कै.के. शर्मा)
अधिसाषी अभियन्ता (प्रो.)